(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:— 53 / 2024 विविध
पीठासीन अधिकारी:—राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:— 13.06.2024

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला — दूदू

1. श्रवण पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी मोरडी तहसील फागी जिला दूदू राज०।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला दूदू राज०

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:— श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक:—13.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 की आराजी खाता संख्या 275 के आराजी खसरा नम्बर 26 / 2 रकबा 3.4268 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 3.4268 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम धुवालियां तहसील फागी जिला दूदू राज० में स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एंव मौके पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं। प्रार्थी की आराजी के पडौसी काश्तकार जो आये दिन मेर सींव को लेकर प्रार्थी से विवाद रखते हैं, मेर कोर को लेकर किसी प्रकार से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना—पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। उपतहसीलदार निमेडा के आदेश क्रमांक एल आर / 23 / 441 दिनांक 03.07.2023 की पालना में उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान किया जा चुका है। बावजूद इसके पडौसी खातेदार काश्तकार उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं आये दिन मेर सींव को लेकर विवाद रखते हैं। जो सीमा कायम की गई है उसे अप्रार्थीगण / पडौसी खातेदारान द्वारा मानने से इन्कार कर दिया है तथा अप्रार्थीगण अपनी सीमाओं से अधिक बढ़कर प्रार्थी की आराजी की सीमाओं में घुसकर मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थी को अपनी आराजीयात की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह प्रार्थना—पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 भूधारक होने से पक्षकार कायम किया गया है। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार फागी उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 जवाब नही देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में सभी पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही कि।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम धुवालियां में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2075–2078 वाके ग्राम धुवालियां के खाता संख्या 275 के 26/2 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 03.07.2023 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थी अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 26/2 वाके ग्राम धुवालियां तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडोसी खातेदारान को नोटिस जारी कर समस्त पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए नियमानुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/24

राकेश कुमार II
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू